

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/ /2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री चन्द्रभान पाराशर, सहा. प्रशा. अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, भुसावर, भरतपुर।	16.06.1958	30.06.2018
2.	श्री बाबूलाल पांडिया, वरिष्ठ सहायक	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, नोहर, हनुमानगढ़	05.06.1958	30.06.2018
3.	श्री राजेन्द्र सिंह पडिहार, सहा. प्रशा. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।	29.06.1958	30.06.2018
4.	श्री लक्ष्मण लाल शर्मा, अति. प्रशा. अधिकारी	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, दौसा।	08.07.1958	31.07.2018
5.	श्री प्रकाश चन्द यादव, सहा. प्रशा. अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, शाहजहांपुर, अलवर।	20.07.1958	31.07.2018
6.	श्री सुवालाल वर्मा, वरिष्ठ सहायक	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, नैनवां, बूंदी।	17.07.1958	31.07.2018
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद विजयवर्गीय, अति. प्रशा. अधिकारी	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, प्रतापगढ़।	27.09.1958	30.09.2018
8.	श्री योगेश कुमार सक्सेना, वरिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर।	31.10.1958	31.10.2018
9.	श्री राधेश्याम महावर, अति. प्रशा. अधिकारी	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बूंदी।	01.01.1959	31.12.2018
10.	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा, सहा. प्रशा. अधिकारी	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, झालावाड़।	29.12.1958	31.12.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 12.1.18

क्रमांक :- ई-18/एम/ ¹⁰¹ /2018/ 494

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, भरतपुर/हनुमानगढ़/प्रतापगढ़/दौसा/अलवर/बूंदी/झालावाड़।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़/भरतपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भुसावर, भरतपुर/नोहर, हनुमानगढ़/शाहजहांपुर, अलवर/नैनवां, बूंदी।
5. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर